दिनांक 07.12.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ भिलाई सुंदर भिलाई**

'आयुक्त एसके सुंदरानी ने निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों रेस्टोरेंट ,होटल, शादी घर वालों को लिखा कड़ा पत्र'

भिलाईनगर/निगमायुक्त एस.के. सुंदरानी ने प्रतिष्ठानों को दिए गए पत्र में लेख किया है कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रतिष्ठान से निकलने वाले गीले कचरो का आन साइट परिसर में ही निष्पादन किए जाने के संबंध में प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट ,होटल, शादी घर से निकलने वाले गीले कचरे से ऑनसाइट परिसर में ही निष्पादन किए जाने के संबंध में निगम कार्यालय द्वारा कार्यशाला के माध्यम से पूर्व में अवगत कराया गया है परंतु प्रायः यह देखने में पाया गया है ,कि प्रतिष्ठानों द्वारा कचरे का निष्पादन प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा रहा है इस कृत्य को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के विपरीत पाया है पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अंतर्गत प्रतिष्ठान से निकलने वाले कचरे का निष्पादन किया जाना अनिवार्य है।

सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण टीम द्वारा प्रतिष्ठान ,होटल ,रेस्टोरेंट ,शादी घर परिसर का निरीक्षण किया जाएगा यदि सर्वेक्षण के दौरान कहीं भी गीले कचरे का निष्पादन ऑनसाइट परिसर में नहीं करते पाए जाने पर निगम की स्वच्छ सर्वेक्षण कार्य को प्रभाव पड़ेगा जिससे निगम के रैंकिंग गिरने की भी संभावना होगी।

पत्र के माध्यम से सात दिवस के भीतर प्रतिष्ठान से निकलने वाले गीले कचरे का ऑनसाइट परिसर में ही निष्पादन करना सुनिश्चित करने का जिक्र किया गया है अन्यथा निगम द्वारा जारी अनुज्ञप्ति एवं स्थापना पंजीयन निरस्त करने के लिए निगम प्रशासन बाध्य होगी।

जनसम्पर्क अधिकारी